"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2014— चैत्र 1, शक 1936

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-46/2014/वाक. (पं.)/पांच (47). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि/भवन के विनिमय के मामलों में विनियम की विषयवस्तु से संबंधित संपत्ति के समान बाजार मूल्य की सीमा तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है :-

1. विनिमय की विषयवस्तु से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य में अंतर होने की स्थिति में अंतर की शेष राशि पर अनुच्छेद क्रमांक-23 (हस्तांतरण पत्र) के अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा.

2. जिन भूमियों/भवनों का विनिमय किया जा रहा है वह नजूल/ पट्टे के न हों.

3. विनिमय की विषयवस्तु समान स्वरूप की हो, अर्थात् भूमि का भूमि एवं भवन का भवन से विनिमय किया जा रहा हो.

परन्तु औद्योगिक इकाईयों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इस अधिसूचना के अधीन छूट की पात्रता नहीं होगी.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

क्रमांक एफ 10-46/2014/वाक. (पं.)/पांच (47). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-46/2014/वाक. (पं.)/पांच (47), दिनांक 19-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 19th March 2014

NOTIFICATION

No. F 10-46/2014/CT (R)/V(47). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the state government hereby remits the stamp duty chargeable under article 31 of the Stamp schedule 1-A of the Indian Stamp Act on instruments of exchange to the extent of the market value of the property being equal which is the subject matter of exchange, in cases of exchange of land/building situated in the State of Chhattisgarh with ownership rights, subject to the following conditions :-

1. In case the market value is not equal the stamp duty shall be chargeable in accordance with article 23 (Conveyance) on the difference amount of the market value of the property which is the subject matter of exchange.

2. The land/building which is being exchanged should not be Nazul/leasehold.

3. The subject matter of the exchange should be of similar nature i. e. exchange should be of land for land or building for building.

Provided that Industrial Units/Commercial Enterprises shall not be eligible for exemption under this notification.

2. This notification will come into effect from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.